केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd

प्रथम तल, एससीओ 2, सैक्टर 9, हुडा मार्किट, करनाल, हरियाणा–132001, E-mail : karnal@canfinhomes.com, टेलि. : 0184–2231555, 7625079210, CIN:L85110KA1987PLC008699

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **05.06.2024** को जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बालेश्वर सिंह और श्रीमती सिम्पी कुमारी पत्नी श्री संतोष कुमार, श्री बालेश्वर पुत्र श्री राम मूर्ति और (गारंटर) श्री विंध्याचल पुत्र श्री बालेश्वर सिंह** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रु. 8,78,625/– (रुपये आठ लाख अट्ठत्तर हजार छः सौ पचीस मात्र)** उस पर आगे ब्याज, व्यय तथा अन्य प्रभारो के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/रों, और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **22 अगस्त 2024** को प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड की बकाया राशि **रु. 8,78,625/– (रुपये आठ लाख अट्ठत्तर हजार छः सौ पचीस मात्र)** और उस पर आगे ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या 60//17/1 में शामिल 110 वर्ग गज की संपत्ति, नगर पालिका, तहसील और जिला पानीपत, हरियाणा–132103 के अंदर पट्टी मुखदुमजादगान में स्थित है।

चौहद्दी निम्नानुसार है:–

पूर्वः दूसरे की संपत्ति — पश्चिमः सड़क

उत्तरः दूसरे की संपत्ति — दक्षिणः दूसरे की संपत्ति

हस्ता./-

तिथि : 24.08.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी,**

स्थान : करनाल — **केन फिन होम्स लिमिटेड**

फॉर्म संख्या यूआरसी-2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

1. इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, पंद्रह दिनों के बाद लेकिन तीस दिनों की समाप्ति से पहले केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड -122050 में रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि "MARUPRIDE LLP (LLPIN: AAJ-3144)" एक LLP को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
   - **(क)** अस्पताल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित करना तथा रोगों के निदान, समझ और रोकथाम तथा उपचार के नए तरीकों की खोज, सुधार या विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, प्रोत्साहित करना, आरंभ करना या बढ़ावा देना।
   - **(ख)** बीमारियों के उपचार से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करना, जिसमें विशेष रूप से नर्सिंग होम, अस्पताल, ऑपरेशन थियेटर, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं, एक्स-रे क्लीनिक, अनुसंधान केंद्र, कार्डियोग्राफिक, सोनोग्राफिक केंद्र, सीटी-स्कैन, एमआरआई स्कैन आदि चलाना शामिल है।
   - **(ग)** सभी चिकित्सा विज्ञानों और उपचारों के अनुसंधान और विकास में संलग्न होकर चिकित्सा और नैदानिक अनुसंधान करना और अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और चिकित्सा उपकरणों आदि के निर्माण के लिए सुविधाओं को स्थापित करने में सहायता करने या संलग्न करने के लिए आवश्यक नैदानिक अनुसंधान और विकास कार्यों सहित सभी प्रकार के अनुसंधान को शुरू करना, बढ़ावा देना या संलग्न करना।
   - **(घ)** सभी प्रकार की जेनेरिक और पेटेंट/गैर-पेटेंट दवाओं, दवाओं, मिश्रणों, फॉर्मूलेशन, टैबलेट, पिल्स, पाउडर, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उत्पादों, सुइयों, सिरिंजों, इंजेक्शनों, टीकों, सीरा, इम्यूनोजेन्स, रसायनों और सर्जिकल ड्रेसिंग, किट और उपकरणों को खरीदना, बेचना, आपूर्ति करना, स्टोर करना, स्टॉक करना, रखरखाव करना या अन्यथा सौदा करना और निदान केंद्रों को लेना/स्थापित करना/संचालित करना और रखरखाव करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति का निरीक्षण पंजीकृत कार्यालय, तीसरी मंजिल, ए 93-99, मरुधर अस्पताल सिंह भूमि, ज्योतिपुरा, जयपुर, राजस्थान, भारत, 302012 में किया जा सकता है।
4. इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस (21) दिनों के भीतर, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट संख्या 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजी जाए।

MARUPRIDE LLP की ओर से
आवेदकों के नाम
Sd/-
1. रिम्मी शेखावत (नामित पार्टनर)
2. स्वर्णिमा राठौड़ (नामित पार्टनर)
3. शिवराज सिंह राठौड़ (नामित पार्टनर)
4. शिवांश राठौड़ (पार्टनर)
5. मुराधर कंवर (पार्टनर)
6. वितेश सिंह नाथावत (पार्टनर)
7. गजराज सिंह नाथावत (पार्टनर)

दिनांक : 25.08.2024
स्थान : जयपुर

निक्की ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L65999DL1986PLC024493

निवासी : तीसरी मंजिल, पूर्वी और मध्य विंग, 124 थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली – 110001

ई–मेलः ngfltd@rediffmail.com, दूरभाष संख्या 08542836641, वेबः www.nikkiglobal.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को प्रातः 09:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, तीसरी मंजिल, पूर्वी और मध्य विंग, 124 थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली – 110001 में आयोजित की जाएगी। संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन), बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण रजिस्टर एजीएम के उद्देश्य से 13 सितंबर, 2024 से 20 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित सभी व्यवसाय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा (रिमोट ई–वोटिंग) प्रदान करने में प्रसन्न है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:–

(ए) रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में मतदान के माध्यम से सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 13 सितंबर, 2024 है।

(बी) रिमोट ई–वोटिंग 17 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे आईएसटी से शुरू होगी और 19 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे आईएसटर पर समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(सी) कोई व्यक्ति, जिसने ईमेल भेजने की तिथि यानी 24 अगस्त, 2024 के बाद शेयर खरीदे हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और कट–ऑफ तिथि यानी 13 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह www.evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन करने की प्रक्रिया प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो वह ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

(डी) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार की वेबसाइट www.skylinerta.com पर जाएं, ईमेल पंजीकरण पर क्लिक करें और उसमें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

(ई) डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं।

(एफ) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.nikkiglobal.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है,

(जी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया 38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ–साथ सदस्यों को भेजे गए ईमेल और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य evoting@nsdl.co.in और/ orngfltd@rediffmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं,

(एच) सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोटों को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से, एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या बैलट पेपर के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

बोर्ड के आदेश से
निक्की ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के लिए:
कृते
राजेश कुमार पांडे
प्रबंध निदेशक

दिनांकः 24 अगस्त, 2024
स्थानः दिल्ली

HDB HDB FINANCIAL SERVICES

कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिनकोड–380009 शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001

जैसा कि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) कहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना में उल्लिखित राशि तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह–कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का उसके साथ उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को अतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन–देन सम्बद्ध तिथि से भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभूति का विवरण, माँग सूचना की तिथि, दावाकृत राशि; कब्जा करने की तिथि नीचे दी गयी है :

1) कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की तिथि; 6) दावाकृत राशि रु. में; 7) कब्जा करने की तिथि
कर्जदार और सह–कर्जदारों का नामः 1. अब्दुल मजीद घोरी फ्लैट नंबर 602 तंवर रेजीडेंसी प्लॉट नंबर डी–224 तुलसी मार्ग बानी पार्क जयपुर – 302001, 2. रुबीना घोरी फ्लैट नंबर 602 तंवर रेजीडेंसी प्लॉट नंबर डी–224 तुलसी मार्ग बानी पार्क जयपुर– 302001, 3. सुफियान घोरी फ्लैट नंबर 602 तंवर रेजीडेंसी प्लॉट नंबर डी–224 तुलसी मार्ग बानी पार्क जयपुर – 302001 ऋण खाता संख्या : 2511756, ऋण राशिः रु. 30,98,070/– (तीस लाख अट्ठानबे हजार सत्तर रुपए मात्र), मांग सूचना दिनांकः 23.06.2023, दावा की गई राशिः 22 जून 2023 तक रु.29,24,776.98/– (उनतीस लाख चौबीस हजार सात सौ छिहत्तर रुपए और अट्ठानबे पैसे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। एनपीए दिनांक – 05/05/2023: प्रतिभूति का विवरण: संपत्ति का समस्त भाग – 750 वर्ग फीट माप वाला फ्लैट नंबर 602, छठी मंजिल, तंवर रेजीडेंसी प्लॉट नंबर डी–224 तुलसी मार्ग बानी पार्क जयपुर – 302001 संपत्ति का मालिक श्री अब्दुल मजीद गोरी है। पंजीकृत बिक्री विलेख, बुक संख्या 1, खंड संख्या 851, पृष्ठ संख्या 192, दस्तावेज संख्या 2013052008233, दिनांक 08–07– 2013 के रूप में, संबंधित उप–पंजीयक आश्वासन के पास विधिवत पंजीकृत है, संपत्ति की सीमाएं उत्तर– अन्य, दक्षिण– सड़क, पूर्व– मार्ग, पश्चिम अन्य हैं। भौतिक कब्जे की तिथिः 22.08.2024
कर्जदार और सह–कर्जदारों का नामः 1. कूपा राम चौधरी प्लॉट संख्या 21 विवेकानंद कॉलोनी, ग्राम चोपासनी, खसरा संख्या 146, पाल रोड जोधपुर – 342001,2। झीमा चौधरी प्लॉट संख्या 21 विवेकानंद कॉलोनी, ग्राम चोपासनी, खसरा संख्या 146, पाल रोड जोधपुर– 342001, ऋण खाता संख्या 638436 और 1417116, ऋण राशिः रु. 1,23,84,478.56/–(एक करोड़ तेईस लाख चौरासी हजार चार सौ अठहत्तर रुपए और छप्पन पैसे मात्र) ऋण खाता संख्या 638436 द्वारा और ऋण खाता संख्या 1417116 द्वारा ऋण राशि रु. 43,97,673 (तैंतालीस लाख सत्तानबे हजार छह सौ तिहत्तर रुपए मात्र), मांग सूचना दिनांकः 10.03.2023, दावा की गई राशिः रु. 1,65,28,845.26/– (एक करोड़ पैंसठ लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ पैंतालीस रुपये और छब्बीस पैसे मात्र) 10.03.2023 तक और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। एनपीए दिनांक – 02/01/2023: प्रतिभूति का विवरणः प्लॉट नंबर 21 विवेकानंद कॉलोनी, ग्राम चोपासनी, खसरा नंबर 146, पाली रोड जोधपुर राजस्थान – 342001, क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज यानी 222.96 वर्ग मीटर का समस्त भाग, कूपा राम के नाम पर क्रमांक 1027 पर भूमि रूपांतरण कार्यालय – जोधपुर में पंजीकरण दस्तावेजों में दर्ज है। सीमाएं : उत्तर – रोड 25', दक्षिण – प्लॉट नं. 30, पूर्व – प्लॉट नं. 22, पश्चिम – प्लॉट नं. 20. भौतिक कब्जे की तिथिः 22.08.2024

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विकास आनन्द, 9711010384, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड : ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001

स्थान : जयपुर, तिथि : 25.08.2024 — ह./– अधिकृत प्राधिकारी

कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,

वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

varthana

पंजीकृत कार्यालयः नंबर 5 बीसी–110, वरसिद्धि तीसरी मंजिल, आवटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043 वेबसाइटः www.varthana.com, ईमेलः care@varthana.com] फोनः 080–68455777, शाखा कार्यालयः 1162 और 1163, टॉवर बी –1, 11वीं मंजिल, स्पेज । टेक पार्क, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुरुग्राम 122018

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) एवं (3) के अंतर्गत सूचना।

हम आपको यह नोटिस भेज रहे हैं, जिसकी विषय–वस्तु पर आप कृपया ध्यान दें: कि आप, उधारकर्ता ने सह–आवेदकों/बंधककर्ताओं के साथ इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आगे मूल ऋणदाता (आईएसएफसी) कहा जाएगा, से ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए संपर्क किया है और अनुरोध किया है। यह मांग नोटिस **31.07.2024** को जारी किया गया, जिसकी विषय–वस्तु अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3(1) के साथ वैकल्पिक सेवा के रूप में उधारकर्ता/सह–आवेदकों/बंधककर्ता नंबर 1 से 5 पर नोटिस की तामील के लिए प्रकाशित की जा रही है, क्योंकि दिए गए पतों पर नोटिस की तामील नहीं की जा सकी। आपके अनुरोध और आग्रह पर, हमने आपको निम्नलिखित ऋण सुविधाएं (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "ऋण सुविधा" कहा जाएगा) प्रदान की है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण खाता संख्या 113103001030। स्वीकृत ऋण राशिः **रु.16,17,000 22–07–2024 तक कुल देयता रु.46,42,710/– (अनुबंधित ब्याज दर सहित), उधारकर्ता, सह–आवेदक और बंधककर्ताओं का नाम और पताः 1. मेसर्स आईजी इंटरनेशनल स्कूल**, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, वीपीओ– बागपुर, बेरी झज्जर जिला, हरियाणा–124201 2. मेसर्स इंदर गहलावत मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, वी एंड पी.ओ बशपुर, खेर शाद, रोहतक जिला, हरियाणा–124201। 3. श्री अतुल, पुत्र श्री राजपाल, :129, बागपुर बेरी तहसील, झज्जर जिला, हरियाणा–1242014. श्रीमति अस्मिथा, पत्नी. अथुल #129, बाघपुर बेरी तहसील, झज्जर जिला, हरियाणा–124201। 5. श्रीमान. प्रमोद कुमार, पुत्र. श्री राजपाल सिंह, रु129, बाघपुर बेरी तहसील, जिला झज्जर, हरियाणा–124201।

आपने समय–समय पर ऊपर वर्णित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और राशि का उपयोग किया है और इसके अलावा, वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय आपने उक्त समझौते/दस्तावेजों के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के लिए वचनबद्धता दी है। आपने कंपनी के पक्ष में सुरक्षा हित बनाते हुए टाइटल डीड्ध्यंजीकृत बंधक जमा करके बंधक भी बनाया है जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है।

आपने उपरोक्त ऋण सुविधा का आनंद लेना जारी रखा, हालांकि, आप अनियमित हो गए और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे, कंपनी के अधिकारियों के हमारे बार–बार अनुरोध और अनुस्मारक के बावजूद आप उक्त बकाए / बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहे और उपेक्षा की। उपरोक्त क्रेडिट सुविधा का संचालन और संचालन अनियमित हो गया है और ऋण को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मूल ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में आपके द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप ऋण खाते को 31–12–2017 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इसके द्वारा उक्त ऋण / क्रेडिट सुविधा को वापस लेते हैं और आपसे उक्त समझौते के तहत ब्याज और आपके द्वारा देय सभी राशियों के साथ पूरे बकाया शेष का भुगतान करने का आह्वान करते हैं।

आपके द्वारा किए गए चूक के कारण, आप संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से हमें 22–07–2024 को ब्याज की सहमत संविदात्मक दर के साथ, भुगतान की तिथि तक कुल बकाया राशि 46,42,710/– रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, साथ ही उस पर आकस्मिक खर्च, लागत और अन्य शुल्क भी। इन परिस्थितियों में, हम आपसे 22–07–2024 को उपरोक्त संपूर्ण बकाया राशि **46,42,710/– रुपये (छियालीस लाख बयालीस हजार सात सौ दस रुपये मात्र)** को 23–07–2024 से संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और उस पर कानूनी लागत/शुल्क सहित इस नोटिस की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहते हैं। यदि आप कंपनी को उपरोक्त राशि को अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक खर्चों के साथ चुकाने में विफल रहते हैं, तो इस नोटिस के अनुसार धारा अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, कंपनी धारा 13 की उपधारा (4) तथा उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत वर्णित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगी।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उपधारा (13) के अनुसार आप कंपनी की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना नीचे वर्णित उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तांतरित नहीं करेंगे।

यह नोटिस कंपनी के ऐसे अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि वह अपने वैध बकाया को वसूलने के लिए कानून के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक समझती है।

यदि आपके पास इसके जवाब में कोई अभ्यावेदन है, तो कृपया इसे प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वरसिद्धि, 5बीसी–110, तीसरी मंजिल, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, बैंगलोर– 560043 को चिह्नित करें।

अचल संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति): अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो 22 कनाल 04 मरला भूमि पर स्थित है, जो गांव बाघपुर, तहसील बेरी और जिला झज्जर में स्थित है, पंजीकृत रक्त संबंध विलेख संख्या 1287 दिनांक 16–09–2016 के माध्यम से आवेदक द्वारा तहसील कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय बेरी में पंजीकृत है। सीमा दीवारें निम्नानुसार हैं:– पूर्व में: महेंद्र पुत्र शोभा की कृषि भूमि, पश्चिम में: सड़क (मंगवास–बागपुर), उत्तर में: राज पुत्र शोभा की कृषि भूमि, दक्षिण मेंरू परविंदर की कृषि भूमि उपरोक्त 22 कनाल 04 मरला भूमि निम्नलिखित जमाबंदी विवरण से प्राप्त होती है:– खेवट संख्या 172, खतौनी संख्या 175, रेक्ट संख्या 21/2(7–15), रिसेट संख्या 45, किला 16/1(7–19), 17/1/1(3–2), 251/1(3–8) में से 1/1 हिस्से की सीमा तक, 22 कनाल, 04 मरला भूमि, वर्ष 2011–2012 की जमाबंदी और म्यूटेशन संख्या 2759 दिनांक 23–09–2016 और 2768 दिनांक 20–10–2016 के अनुसार गांव बागपुर, तहसील बेरी और जिला झज्जर।

दिनांकः 25–08–2024, स्थानः गुरुग्राम — प्राधिकृत अधिकारी, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग डी–7, सेक्टर–3, नोएडा (उ.प्र.)–201301

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां नीचे अंकित तिथियों पर ऋणकर्ता/गारंटर को मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को संबंधित माँग सूचना में अंकित राशि का सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता और सह–ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता और सह–ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित बकाया राशि(यों) की एक राशि और इन पर निम्नलिखित प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित ब्याज और अन्य शुल्कों/व्ययों हेतु उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता / बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा अधिग्रहण की तिथि	माँग सूचना के अनुसार राशि
1. अवधराज कुमार मोदनवाल उर्फ अवधराज पुत्र बेचू, बेंडुआर, अहिरौली, जिला– कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड– 274149 2. रीता देवी पत्नी अवधराज, बेंडुआर, अहिरौली, जिला– कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड– 274149, ऋण खाता संख्या 2365210170000025	अरजी संख्या 491(1) में स्थित 517.6 वर्ग फीट अधिमापन की संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो अरजी संख्या 491 में स्थित 256 वर्ग फीट की आवासीय संपत्ति के रूप में, मौजा – विंदुआर, टप्पा विंदुआर परगना – हवेली, तहसील– हाटा, जिला–कुशीनगर में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित हैः सीमाएं: पूर्वः प्रमोद शुक्ला का मकान, पश्चिमः सड़क, उत्तरः अवधराज का मकान, दक्षिणः सड़क। (2) आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 261.6 वर्ग फीट है जो अरजी संख्या 491, मौजा – विंदुआर, टप्पा विंदुआर परगना – हवेली, तहसील– हाटा, जिला–कुशीनगर में स्थित है तथा निम्नानुसार परिसीमित हैः सीमाएं: पूर्वः प्रमोद शुक्ला का मकान, पश्चिमः सड़क, उत्तरः धर्मेंद्र मोदनवाल का मकान, दक्षिणः भूमि रीता देवी की। यह संपत्ति रीता देवी पत्नी अवधराज यानी आपके बीच में से क्रमांक से संबंधित है।	**माँग सूचना की तिथि : 02.03.2024** **अधिग्रहण की तिथि : 22.08.2024**	**रु. 21,65,122/– दिनाँक 25.02.2024 के अनुसार**
1. प्रवीण कुमार पुत्र यादराम उर्फ यादराम उर्फ याद राम सिंह, मकान नंबर 47, वार्ड नंबर 5, निरंजनपुरी गौशाला, अलीगढ़, यू.पी.–202001, अन्य पता यहां पर भी :– मकान नंबर 58, गली नंबर 2, निरंजनपुरी गौशाला के पास, कोइल, अलीगढ़, यूपी–202001, 2. यादराम उर्फ घ्घ्यादराम उर्फ घ्घ्याद राम सिं